

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

कृषि विपणन निदेशालय

(विकास विभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं. एफ 8 (33)/2013/डी0ए0एम0/एम0आर0/1418

दिनांक : 24.04.2015

### अधिसूचना

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 118 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसरण में कृषि उत्पाद विपणन समिति आजादपुर द्वारा निर्मित और स्वीकृत तथा निदेशक द्वारा पुष्टिकृत निम्नलिखित उप-विधियाँ एतद् द्वारा अधिसूचित की जाती हैं :-

### उपविधियाँ

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 118 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के दिनांक 31.10.2014 के संकल्प संख्या 94/2014 के पूर्व अनुमोदन से कृषि उत्पाद विपणन समिति, आजादपुर, कृषि विपणन समिति उपविधियों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :-

(1) ये उपविधियाँ आजादपुर कृषि उत्पाद विपणन समिति (संशोधन) उपविधियाँ, 2015 कहीं जायें ।

(2) ये तत्काल लागू होंगे ।

2 उप-विधि-49 का संशोधन

विक्रेता की अपेक्षा क्रेता से कमीशन वसूलना :-

वर्तमान उपविधि 49 (3) भाग 1 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि यद्यपि वर्तमान 6 प्रतिशत कमीशन दर लागू रहेगी परन्तु यह किसान/विक्रेता से नहीं अपितु क्रेता से वसूल की जायेगी ।

( वी. पी. राव )

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

( TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY )  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)  
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING  
49, SHAMNATH MARG, DELHI-110054

Dated: 24.04.2015

NOTIFICATION

No.F.8 (33)/2013/DAM/MR/1418 . – In pursuance of the provisions of sub-section (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the following bye-laws are made and adopted for the Agricultural Produce Marketing Committee, Azadpur and confirmed by the Director, are hereby notified as under:

“BYE-LAWS”

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 and with previous approval of the Delhi Agricultural Marketing Board vide resolution No.94/2014 dated the 31.10.2014 the Agricultural Produce Market Committee, Azadpur hereby makes the following Bye-laws further to amend the Azadpur Agricultural Produce Market Committee bye-laws, namely:-


Short title and Commencement 1. (i) These Bye-Laws may be called the Azadpur Agricultural Produce Market Committee (Amendment) Bye-Laws, 2015.  
(ii) They shall come into force at once.

Amendment of Bye-Law No. 49

Charging of Commission from Purchasers instead of Sellers 2. Existing Bye-Law 49 (3) Part I is amended to the effect that though the Commission shall be charged at the existing rate of 6% but it shall be charged from the buyers and not from Farmers/Sellers.

378/pey  
24/4/15.

962/DS/emb  
24/4/15

  
(V. P. RAO)  
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)  
GOVT. OF NCT OF DELHI